

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या :- 201/2023  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/322

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पुखराज पुत्र चिमाराम
2. लालाराम पुत्र चिमाराम
3. चौखाराम पुत्र देवाराम
4. हुक्माराम पुत्र देवाराम
5. जुंजाराम पुत्र देवाराम
6. रेखा देवी पत्नी देवाराम

जाति जाट

निवासी भांडियावास हाल हिम्मतोणियों  
भांभुओं की ढाणी तहसील कल्याणपुर  
जिला बालोतरा

1. मानाराम पुत्र हीराराम
2. आसुराम पुत्र हीराराम
3. राजूराम पुत्र हीराराम
4. कालूराम पुत्र मीठालाल
5. पारस पुत्र मीठालाल

जाति पालीवाल

निवासी कुडी तहसील कल्याणपुर

6. वगताराम पुत्र राउराम
7. पुमनाराम पुत्र राउराम
8. मालाराम पुत्र राउराम
9. हीराराम पुत्र राउराम
10. रेखाराम पुत्र राउराम
11. धनराम पुत्र राउराम
12. मीरों देवी पत्नी राउराम
13. धर्मराम पुत्र चेतनराम
14. ताराराम पुत्र चेतनराम

जाति जाट

निवासी हिम्मोणियों भांभुओ की ढाणी  
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
कल्याणपुर, जिला बालोतरा



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 06/12/2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 27.01.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हिम्ताणियों भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 397 क्षेत्रफल 10.6513 हैक्टर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।



आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा